राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 861/III/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

27.5.14

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 280/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–1–14 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम सटई की नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 79 पर आदेश दिनांक 16–12–81 से राजस्व निरीक्षक ने नामान्तरण किया, इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, विजाबर जिला छतरपुर के समक्ष अपील कमांक 87/2004–05 पंजीबद्व हुई, जो नामांत्रण आदेश के लगभग 23 वर्ष के अंतराल से हैं। अनुविभागीय अधिकारी विजावर ने आदेश दिनांक 31–12–05 से 23 वर्ष उपरांत नामान्तरण आदेश दिनांक 16–12–81 निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा के यहां अपील होने पर प्रकरण कमांक 280/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–1–14 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16–12–05 निरस्त कर निर्णीत किया कि अत्याधिक विलम्ब से अपील ग्राह्य कर सुनवाई करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रृटि की है और नामान्तरण पंजी पर किया गया आदेश दि. 16.12.1981

R- 861-III/14 देवरपुर

स्थिर रखा। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या 23 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि वाद नामान्तारण आदेश के विरूद्ध अपील सुनी जा सकती है ? इस सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त व्दारा न्यायिक 2005 रा.नि. 45, 2010 राजस्व निर्णय 345, 2010 राजस्व निर्णय 59 का अविलम्बन लेकर आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

4/ जहाँ तक वादग्रस्त भूमि में आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व का प्रश्न है ? स्वत्व संबंधी वाद का निराकरण करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य